

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी- संजय शर्मा

जी.सी.एम.एस. प्रकरण संख्या : 2024 / 145

सिविल प्रकरण संख्या:- 69 / 2024

तारीख रजू 31.07.2024

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।
.....आवेदक

बनाम

1. राजेश मीना पुत्र श्री रामजीलाल मीना (विक्रेता) मैसर्स-डी.के. फूड्स एण्ड फ्रूट्स, ब्रहमपुरी कॉलोनी, रेलवे स्टेशन के पास, सवाई माधोपुर 322001 निवासी जनकपुरी ढाणी, शेरपुर खिलचीपुर, सवाई माधोपुर
2. श्रीमती धोली पत्नी श्री प्यारेलाल (प्रोपराईटर) मैसर्स-डी.के. फूड्स एण्ड फ्रूट्स, ब्रहमपुरी कॉलोनी, रेलवे स्टेशन के पास, सवाई माधोपुर 322001 निवासी अजनोटी, सवाई माधोपुर
.....अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) / 51 एवं 2(iv) 54 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय:-

दिनांक 16.12.2025


उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री बाबूलाल तगाया खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 29.04.2024 को दोपहर 12.40 पी.एम. पर मैसर्स डी.के. फूड्स एण्ड फ्रूट्स, ब्रहमपुरी कॉलोनी, रेलवे स्टेशन के पास, सवाई माधोपुर पर पहुंचा मौके पर एक व्यक्ति उपस्थित मिला जिससे अपना परिचय दिया व परिचय पत्र दिखाया। व्यक्ति ने अपना नाम राजेश मीना पुत्र श्री रामजीलाल मीना होना बताया एवं फर्म का विक्रेता एवं श्रीमती धोली को फर्म का प्रोपराईटर होना बताया। एवं संस्थान का निरीक्षण किया। संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया गया कि आम जनता को विक्रय हेतु पनीर (लूज) रखा हुआ था। पनीर में गुणवत्ता/मिलावट का अंदेशा होने पर वास्ते नमूना जांच 01 किलोग्राम पनीर खरीदकर उसकी कीमत 200/- रुपये विक्रेता को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थित गवाहान अमित शुक्ला के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 01 किलोग्राम पनीर (लूज) को विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक की बोतलें दिखाकर उक्त खरीदशुदा पनीर (लूज) को प्रत्येक बोतल में बराबर-बराबर डालकर 20-20 बूंदें फार्मेलीन डाली गईं एवं बोतलों को ढक्कन लगाकर ऐयरटाइट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर

न्याय निर्णयन
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं H-3230 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर रिलप क्रमांक H-3230 नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर रिलप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तरदीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे राजेश मीना ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं0 5ए की एक प्रति विक्रेता राजेश मीना को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे मौके पर नमूना सील बन्द किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के एक आउटर कवर में लपेटकर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। आवेदक को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/416 दिनांक 22.05.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/1560/एक्ट/2024/1735 दिनांक 13.05.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ पनीर, **Sub Standard** as the extracted fat does not conform to the standards of milk fat as prescribed under food safety and standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations 2011. The Sample is also food containing extraneous matter (Foreign Fat) under section 3(1)(i) of Food Safety and Standard Act, 2006. प्रकृति का होना पाया गया है।

उक्त प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा Sub-Standard & Extraneous Matter, पनीर (लूज) का विक्रय एवं निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 एवं 54 में जुर्माना योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलव किया गया। अभियुक्त उपस्थित हुये। अभियुक्त द्वारा प्रकरण जवाब पेश किया गया। प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई।


न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्त ने Sub-Standard & Extraneous Matter, पनीर (लूज) का विक्रय एवं निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। अतः अभियुक्तगण को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।


अभियुक्त ने प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क दिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थी की फर्म से पनीर (लूज) का सेम्पल लिया गया था जिसकी जांच रिपोर्ट में सबरस्टेण्डर्ड पाया गया है। वर्तमान में उक्त फर्म डी.के. फूड्स एण्ड फ्रूट्स बन्द कर दी गई है। हम प्रार्थीगण अपनी गलती मानते हैं एवं भविष्य में इस प्रकार की कोई गलती नहीं करेंगे। अन्त में अभियुक्त ने प्रकरण को ड्रॉप करने हेतु निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/1560/एक्ट/2024/1735 दिनांक 13.05.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ पनीर (लूज) सबरस्टेण्डर्ड प्रकृति का होना पाया गया है। अभियुक्त द्वारा दौराने बहस अपना अपराध स्वीकार किया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्ध अपराधी करार दिया जाता है, चूँकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 51 एवं 54 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्त को सबरस्टेण्डर्ड प्रकृति के खाद्य पदार्थ पनीर (लूज) का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्त पर 20,000/-₹0 (अक्षरे बीस हजार रुपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर-अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(संजय शर्मा)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर